संख्या-519/2017/826/22-2-2017-17(245)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रहमू उर्फ रहमुद्दीन पुत्र श्री बुद्धशाह, निवासी-जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11943/प्रोबेशन-3/(एम-08-10-2013) दिनांक-20-04-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रहमू उर्फ रहमुद्दीन पुत्र श्री बुद्धशाह, निवासी-बहरामपुर, थाना-स्योहारा, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 27/28.09.1979 को 06 सहअभियुक्तों के साथ डकैती डालने के दौरान पिस्तौल से गोली मारकर वाजिद हुसैन की हत्या की तथा साजिद हुसैन को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-14/1980 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 25.10.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी, 01 की मा0 उच्च न्यायालय से सजा के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2017 तक 18 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी के जघन्य अपराध में सहअभियुक्त होने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रहमू उर्फ रहमुद्दीन (बन्दी संख्या-46712) पुत्र श्री बुद्धशाह निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-519/2017/826(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-519/2017/826/22-2-2017-17(245)/2013

दिनांक 30 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रहमू उर्फ रहमुद्दीन पुत्र श्री बुद्धशाह, निवासी-बहरामपुर, थाना-स्योहारा, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 27/28.09.1979 को 06 सहअभियुक्तों के साथ डकैती डालने के दौरान पिस्तौल से गोली मारकर वाजिद हुसैन की हत्या की तथा साजिद हुसैन को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-14/1980 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 25.10.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी, 01 की मा0 उच्च न्यायालय से सजा के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2017 तक 18 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी के जघन्य अपराध में सहअभियुक्त होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।